सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 505 राँची ,सोमवार

21 आश्विन 1936 (श०)

13 अक्टूबर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

30 सितम्बर, 2014

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश सं0-2598, दिनांक-25 मई, 2006, आदेश सं0-8263, दिनांक-24 दिसम्बर, 2007 एवं पत्रांक-1391, दिनांक-13 फरवरी, 2014, पत्रांक-7536, दिनांक-25 जुलाई, 2014

2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-2892, दिनांक-27 अगस्त, 2014

संख्या-5/आरोप-1-532/2014 का.- 9779-- श्री रामचन्द्र भगत, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-372/03, गृह जिला- राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम को इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता भगत के शिकायत के आधार पर पत्नी के रहते हुए अन्य महिला के साथ रहकर अपनी पत्नी एवं दो बच्चों को मानसिक यातना देने संबंधी आरोपों हेतु लोहरदगा थाना काण्ड सं0-12/92 जी0आर0 27/92 दर्ज है। प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के द्वारा विषयगत मामले में श्री भगत को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500.00 रूपये आर्थिक दण्ड की सजा दी गयी।

2. श्री भगत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(प्रथम), लोहरदगा के आदेश को यथावत् रखते हुए अपील को अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री भगत ने माननीय उच्चतम न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-439/2006 दायर किया।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक-9 नवम्बर, 2012 को पारित आदेश में श्री भगत के द्वारा दायर क्रिमिनल अपील सं0-439/2006 खारिज कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश की अंतिम कंडिका निम्नवत् है-

" In these circumstances, we dismiss the appeal. The bail bonds shall stand cancelled and the accused-appellant is directed to surrender to undergo the remaining period of sentences with immediate effect."

4. समीक्षोपरांत, श्री भगत को सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड निर्धारित हुआ। तद्नुसार, इनसे विभागीय पत्रांक-1391, दिनांक-13 फरवरी, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी एवं अनुवर्ती स्मार-पत्रों द्वारा स्मारित भी किया गया। श्री भगत के पत्र, दिनांक-8 मई, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें कोई नया तथ्य नहीं पाया गया।

5. तदुपरांत श्री भगत को बर्खास्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-7536, दिनांक-25 जुलाई, 2014 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-2892, दिनांक-27 अगस्त, 2014 द्वारा परामर्श प्राप्त हुआ कि बिना विभागीय कार्यवाही के दण्ड देने के बिन्दु पर विधि(न्याय) विभाग, झारखण्ड से परामर्श प्राप्त कर लिया जाय एवं अनुकूल राय प्राप्त होने की स्थिति में श्री भगत की सेवा समाप्ति पर आयोग की सहमति समझी जाय।

6. उक्त परिप्रेक्ष्य में, विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड द्वारा परामर्श दिया गया कि किसी कर्मी के आचरण के आधार पर किसी आपराधिक आरोप के अंतर्गत यदि सजा हो गयी हो और इस आधार पर उस पर dismissal, removal अथवा reduction in rank का दण्ड अधिरोपित किया जाना हो, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (a) के अंतर्गत बिना किसी विभागीय जाँच या कार्यवाही के उक्त दण्ड का अधिरोपण किया जा सकता है और ऐसे मामले में कर्मी को अनुच्छेद 311(2) में वर्णित प्रावधान का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

7. वर्णित संवैधानिक प्रावधान, महाविधक्ता का परामर्श तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विषयगत मामले श्री भगत को दिये गये दण्ड की पृष्ठभूमि में श्री रामचन्द्र भगत, कार्यपालक दण्डाधिकारी, घाटशिला को सेवा में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

8. अतः सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 49(vii) के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र भगत, कार्यपालक दण्डाधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम को इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 505–50 ।